पत्र संख्या–गव्य(बजट–02) 01/2009–..........

(पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग)

गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषक,

अजय कुमार झा,
निदेशक (गव्य)।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक (गव्य)/उप निदेशक (मुख्यालय)/गव्य अर्थशास्त्री,
गव्य विकास निदेशालय, बिहार,पटना।
क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य), मुजफ्फरपुर/भागलपुर/पटना।
गव्य शोध पदाधिकारी, पटना।
जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पटना/लखीसराय/नवादा/अरवल/नालंदा/औरंगाबाद/ छपरा/सीवान/गोपालगंज/सुपौल/बाँका/ जमुई/मुंगेर/शेखपुरा/सीतामढ़ी/पूर्णियाँ/कटिहार/मधुबनी/मधेपुरा/किशनगंज/पूर्णियाँ,प्रभारी– अररिया।

पटना –15, दिनांक–

विषयः– **सरकारी कार्य हेतु भाड़े पर गाड़ी लिये जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक–एम–4–04/2010–6460/वि० (2), दिनांक– 18.06.2012 तथा 15698/वि० (2), दिनांक– 06.11.2012 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा सरकारी कार्य हेतु भाडे पर गाड़ी लिये जाने का प्रावधान है। उक्त वित्त विभागीय पत्रों के आलोक में योजनाओं के ससमय सफल कार्यान्वयन, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा जाँच आदि कार्य के मद्देनजर वित्त विभागीय पत्र में निहित प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई करते हुये गव्य विकास निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यालय प्रधान को आवश्यकतानुसार भाड़े की गाड़ी पूरे माह के लिये उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. जिन कार्यालयों में सरकारी वाहन उपलब्ध है एवं संचालन योग्य नहीं है, वहाँ आवश्यकतानुसार नियम के आलोक में वाहन की नीलामी के पश्चात् ही भाड़े की गाड़ी का उपयोग किया जायेगा।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

4. सरकारी कार्य हेतु भाड़े की गाड़ी लिये जाने के संबंध में गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना से निर्गत पूर्व पत्र को विलोपित किया जाता है।

5 प्रस्ताव में सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक–गव्य (बजट–02) 01/2009................/ पटना–15 दिनांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा एवं हक0), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक–गव्य(बजट–02) 01/2009................/ पटना–15 दिनांक–

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/पटना/लखीसराय/नवादा/अरवल/नालंदा/औरंगाबाद/छपरा/सीवान/गोपालगंज/सुपौल/बाँका/जमुई/मुंगेर/शेखपुरा/सीतामढ़ी/पूर्णियाँ/कटिहार/मधुबनी/मधेपुरा/किशनगंज एवं अररिया को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक (गव्य)

(कृ0पृ0ऊ0

ज्ञापांक–गव्य(बजट–02) 01/2009................/ पटना–15 दिनांक–

प्रतिलिपि–लेखा शाखा/बजट शाखा, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक–गव्य(बजट–02) 01/2009 913 / पटना–15 दिनांक– 12/6/18

प्रतिलिपि–प्रबंधक (आई0टी0), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को कृपया विभागीय वेवसाईट (नोटिस बोर्ड) पर अपलोड करने हेतु कृपया प्रेषित।

12/6/18

निदेशक (गव्य)

227/

पत्रांक-एम.04-04/2010..........6460.../वि0(2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना, दिनांक...18/6/12...

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,
सचिव (व्यय) ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिलाधिकारी ।

विषय :- सरकारी कार्य हेतु भाड़े पर गाड़ी लिये जाने के संबंध में ।

प्रसंग :- वित्त विभागीय पत्र सं0-2188/वि0(2) दिनांक 02.03.2010

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक 2188/वि0(2) दिनांक 02.03.2010 द्वारा सरकारी कार्य हेतु भाड़े पर गाड़ी लिये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किया गया जिसकी कंडिका (i) में निम्न प्रावधान है :-

"पटना स्थित राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम से उनके द्वारा निर्धारित दरों पर ही गाड़ी लिया जाये । यदि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम में गाड़ी उपलब्ध न हो तो उनसे अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही अन्य एजेन्सियों से गाड़ियाँ निर्धारित दर पर ली जाये ।"

निर्धारित दर के संबंध में अलग-अलग विभागों द्वारा अलग-अलग निर्णय लिये जाने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही है ।

अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कंडिका (i) को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार पढ़ा जाय :-

"यदि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम में गाड़ी उपलब्ध न हो तो उनसे अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही अन्य एजेन्सियों से गाड़ी नियमानुसार बिहार वित्त संशोधन (नियमावली) 2005 की निविदा प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए निगम के द्वारा निर्धारित दर के अंतर्गत ली जाये ।"

(ii) पटना से बाहर स्थित कार्यालय के लिए बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित दर के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया का पालन कर भाड़े पर गाड़ी लिये जाने की छूट रहेगी ।

विश्वासभाजन,

(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव (व्यय)
18/6

228

पत्रांक-एम-4-04/2010......15698....../वि0(2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

उदय सिंह कुमावत,
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 6/XI/12

विषय :- सरकारी कार्य हेतु भाड़े पर गाड़ी लिये जाने के संबंध में।

प्रसंग :- वित्त विभागीय पत्र सं0-6460 दिनांक 18.06.2012

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक 6460 दिनांक 18.06.2012 द्वारा सरकारी कार्य हेतु भाड़े पर गाड़ी लिये जाने के संबंध में यह प्रावधान किया गया था कि "यदि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम से गाड़ी उपलब्ध न हो तो उनसे अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही अन्य एजेन्सियों से गाड़ी नियमानुसार बिहार वित्त संशोधित (नियमावली) 2005 की निविदा प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए निगम के द्वारा निर्धारित दर के अन्तर्गत ली जाय।"

उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद कतिपय विभागों से यह प्रस्ताव प्राप्त होता रहा है कि प्राइवेट एजेंसी से निविदा पर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की दर की तुलना में कम दर पर वाहन उपलब्ध हो रहा है एवं प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से कम दर पर सरकारी कार्य हेतु भाड़े पर गाड़ी लिये जाने की सहमति प्रदान की जाय।

सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "यदि निविदा के माध्यम से प्रशासी विभाग को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 द्वारा प्राप्त करायी जा रही दर से कम दर पर वाहन प्राइवेट एजेंसी से उपलब्ध हो जाता है तो ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।"

यह निर्णय सरकारी कार्य हेतु भाड़े पर गाड़ी लिये जाने के सभी मामलों में प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन,

(उदय सिंह कुमावत)
सचिव (व्यय)